इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 426] भोपाल, गुरूवार, दिनांक 15 सितम्बर 2011—भाद्र 24, शक 1933

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2011

सूचना

क्र. 5623-वियो-20-2011.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि भेड़ाघाट निवेश क्षेत्र की विकास योजना का प्रारूप म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 15 सितम्बर 2011 को प्रकाशित किया जा रहा है और जिसकी प्रति मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत, भेड़ाघाट, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर, कलेक्टर, जिला जबलपुर तथा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश भोपाल के कार्यालय में कार्यालयीन समय में, अवकाश के दिन को छोड़कर, निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. दिनांक 15 सितम्बर, 2011 से कार्यालय नगर पंचायत भेड़ाघाट में प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है. प्रारूप विकास योजना की प्रति प्रदर्शनी स्थल पर शुल्क अदायगी करने पर प्रदाय होगी.

उक्त प्रारूप योजना की विशिष्टतायें नीचे दी गयी अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गयी हैं :—

अनुसूची

1. भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र.

1-क प्राकृतिक परिसंकटों के विवरण सहित प्राकृतिक परिसंकट उन्मुख क्षेत्र.

2. प्रारूप विकास योजना के उपबंधों को स्पष्टीकरण। कराने वाली वृत्तात्मक रिपोर्ट, जो मानचित्रों तथा चार्टों से समर्थित हो.

3. प्रारूप विकास योजना के कार्यान्वियन की क्रमावस्था.

4. प्रारूप विकास योजना को प्रवर्तित करने के लिये तथा वह रीति जिसमें विकास के लिए अनुज्ञा अभिप्राप्त की जा सकेगी, कथित करने के लिए उपबंध.

5. लोक प्रयोजन के लिए भूमि अर्जन के अनुमानित खर्चे तथा प्रस्तावित योजना के कार्यान्वियन के अन्तर्वलित कार्यों के खर्चे का लगभग प्राक्कलन.

प्रारूप योजना के संबंध में यदि कोई आपत्ति/सुझाव हों तो उसे संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश भोपाल को या संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय जबलपुर को इस सूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने की दिनांक से 30 दिन की अवधि में भेजें अथवा प्रदर्शनी स्थल पर प्रस्तुत करें.

के. सी. गुप्ता, आयुक्त-सह-संचालक.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2011

क्र. एफ-3-135-2011-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड "ख" के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना/अधिसूचना क्रमांक 5623-वियो--2011, दिनांक 14 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal, the 14th September 2011

NOTICE

No. 5623-MPS-20-2011.—Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Bhedaghat Planning Area has been published on 15th September, 2011 in accordance with the provisions of sub-section (1) of the Section 18 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection at the office of the Chief Municipal Officer, Nagar Panchayat, Bhedaghat, Joint Director, Town & Country Planning, Distt. office Jabalpur, Collector, Distt. Jabalpur and Directorate Town & Country Planning, M. P. Bhopal during office hours, except, holidays. An exhibition is also arranged from 15th September, 2011 at office of Nagar Panchayat, Bhedaghat, Copies of the Draft Development Plan will be supplied on payment at the venue place.

The particulars of the said Draft Development Plan have been specified in the schedule given below:—

SCHEDULE

1. The existing land use map.

1-a. The natural hazard prone areas with the description of natural hazards.

2. A narrative report, supported by maps and charts, explaining the provisions of the development plan.

3. The phasing of implementation of the development plan.

4. The provisions of enforcing the draft development plan and stating the manner in which permission of development may be obtained.

5. An approximation of the cost of land acquisition, for public purpose and the cost of works involved in the implementation of the development plan.

If there be any objection or suggestions with respect to the said Draft Development Plan, it should be sent to the Director Town & Country Planning, Madhya Pradesh Bhopal or Joint Director, Town & Country Planning, Distt. Office Jabalpur or may be submitted at the venue of exhibition within 30 days from the date or publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

K. C. GUPTA, Commissioner-cum-Director.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011